बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–800 001

(पंजीयन सं०–633/2003)

E-mail : basa_bihar@yahoo.com

पत्रांक : 118 दिनांक 3-9-08

अध्यक्ष

अरूण चन्द्र मिश्र

(M) 9835281295
(M) 9939469410
(R) 0612-2526123

+ + +

उपाध्यक्ष

* शम्भु नाथ मिश्र

(M) 9431619672
(O) 9334387630
(F) 0612-2504498
(R) 0612-2288139

* अखलाक अहमद

(M) 9934280177
(O) 0612-2219693

+ + +

महासचिव

सुशील कुमार

(M) 9431091417
(O) 9431818484

+ + +

संयुक्त सचिव

* राजयनन्द बडियार

(M) 9431093157
(O) 9431818010

* अनिल कुमार

(M) 9431409463

+ + +

कोषाध्यक्ष

चन्द्र शेखर सिंह

(M) 9334131351

+ + +

संयुक्त कोषाध्यक्ष

सोमेश बहादुर माथुर

(M) 9431407901
(O) 9334387555

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 02.09.08 के दैनिक समाचार पत्र राष्ट्रीय सहारा एवं दिनांक 03.09.08 के हिन्दुस्तान टाईम्स में यह समाचार दिया गया है कि बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी श्री अमानुल्लाह सम्प्रति अपरसमाहर्त्ता, सिवान, तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, मधुबनी, श्री रजनीकांत, सम्प्रति अंचल अधिकारी, धनरूआ (पटना) तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, पन्डौल (मधुबनी) तथा श्री गुफरान अहमद, सम्प्रति कार्यपालक दंडाधिकारी, (मोतीहारी) तत्कालीन जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, मधुबनी के विरूद्ध निगरानी विभाग द्वारा जनवितरण प्रणाली के अन्तर्गत लालकार्ड एवं खादय वितरण में अनियमितता के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गयी है।

यह अत्यत आश्चर्य का विषय है कि इनमें से दो पदाधिकारी यथा श्री अमानुल्लाह एवं श्री रजनीकांत को पूर्व में ही खादय एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से आरोप मुक्त किया जा चुका है जो क्रमशः आयुक्त एवं सचिव, खादय एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पत्रांक 159/गो0 दिनांक 16.05.07 तथा 161/गो0 दिनांक 16.05.07 से संसूचित है। उपरोक्त दोनों पदाधिकारियों से विभाग द्वारा इस विषय पर स्पष्टीकरण की माँग की गयी थी तथा स्पष्टीकरण पर सम्यक विचारोपरान्त से संतोषप्रद पाते हुये ही दोनों पदाधिकारियों को आरोप मुक्त करने का सरकार द्वारा निर्णय लिया गया। साथ ही श्री गुफरान अहमद के विरूद्ध भी अधिक से अधिक प्रशासनिक त्रुटि का मामला ही विचारणीय हो सकता है, न कि प्राथमिकी दर्ज करने का। इसके लिए विभागीय कार्रवाई ही प्रर्याप्त होगी।

इस संबंध में गृह विभाग के पत्रांक 5211 दिनांक 09 जून 2008 के द्वारा भी सभी विभागाध्यक्षों को यह निर्देश दिया गया हे कि यदि सरकारी दायित्वों के कार्यान्वयन के क्रम में यदि कोई ऐसा मामला बनता है जिसमें प्राथमिकी दर्ज करना आवश्यक है तो ऐसी अवस्था में संबंधित विभाग के प्रधान से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही प्राथमिकी दर्ज की जायेगी। परन्तु निगरानी विभाग के द्वारा की गयी कार्रवाई से ऐसा प्रतीत होता है कि न तो गृह विभाग से निर्गत दिशा–निर्देश का अनुपालन किया गया है और न ही प्रशासनिक दोष के लिए विभागीय कार्यवाही पर अमल किया गया। विगत कुछ दिनों में भी निगरानी विभाग द्वारा कई ऐसे मामले जिनमें मात्र विभागीय कार्रवाई पर्याप्त होनी चाहिए, गृह विभाग के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की गयी है जो न सिर्फ बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के मनोबल को गिरा रहा है बल्कि इनसे उनके मान एवं प्रतिष्ठा की भी क्षति हुयी है। विशेष रूप से प्राकृतिक आपदा की इस घड़ी में जब कि बासा के पदाधिकारी अपनी संपूर्ण शक्ति एवं क्षमता के साथ राहत कार्य में लगे हुये हैं, निगरानी विभाग द्वारा इस प्रकार की कार्रवाई से बिहार के विकास एवं विशेष रूप से प्रशासनिक पदाधिकारियों के कर्तव्यों के निर्वहन पर अत्यंत प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।

संघ सरकार से यह माँग करती है कि निगरानी विभाग द्वारा इस प्रकार प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई पर अविलम्ब रोक लगायी जाय तथा बिना प्रशासी विभाग की स्वीकृति के प्राथमिकी दर्ज करने हेतु आदेश देने वाले पदाधिकारी पर कड़ी कार्रवाई की जाय।

अनु०:– पत्रांक 159/गो0 दिनांक 16.05.08
एवं पत्रांक 161/गो0 दिनांक 16.05.08

Sushil 3.9.08
महासचिव

प्रतिलिपिः–1. निदेशक, दूरदर्शन/आकाशवाणी को प्रसारण हेतु प्रेषित।
2. संपादक, सभी हिन्दी एवं अंग्रेजी दैनिक समाचार को प्रकाशन हेतु प्रेषित।

Sushil 3.9.08
महासचिव